प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका,
   जिला पुरूष/महिला एवं संयुक्त चिकित्सालय,
   उत्तर प्रदेश।

पत्र सं0–17फ/नि0नि0ब0/कैम्प/2019/ 156-57 दिनांकः 13.02.2019

विषयः–जनहित गारन्टी अधिनियम, 2011 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–3, सन् 2011) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रभावी रूप से लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में लोक सेवा प्रबन्धन की अधिसूचना के माध्यम से जनहित गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत विभाग की कुल 9 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। इन सेवाओं को विभाग में प्रभावी ढ़ंग से क्रियान्वित किये जाने हेतु एक वेब पोर्टल के विकास हेतु उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन का चयन किया गया है।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन की कार्यदायी संस्था द्वारा आवश्यक वेब पोर्टल का विकास कर www.up-health.in पर होस्ट किया जा चुका है जिसकी आपरेशनल ट्रेनिंग भी सम्बन्धित अधिकारियों को विभिन्न प्रशिक्षण द्वारा प्रदान की जा चुकी है एवं पोर्टल के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश महानिदेशालय एवं शासन द्वारा प्रदान किये जा चुके हैं।

उपरोक्त पोर्टल को माननीय मुख्यमंत्री जी के डैशबोर्ड (दर्पण) से भी इंटीग्रेट किया जा चुका है एवं मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा सभी चयनित सेवाओं का अनुश्रवण भी ऑनलाईन ही किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देशों के अनुरूप कार्यदायी संस्था द्वारा पोर्टल में डिजिटल सिग्नेचर के फीचर को भी इंटीग्रेट कर दिया गया है। अब वेब पोर्टल के माध्यम से निर्गत होने वाले प्रमाण–पत्र सम्बन्धित अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) द्वारा हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही जारी होंगे।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि कार्यदायी संस्था को डिजिटल सिग्नेचर को क्रियान्वित कराने में आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

भवदीय,

महनिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

पत्रांक–17फ/नि0नि0ब0/कैम्प/2019/ तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
3. डा0 नीरज शुक्ला, विशेष सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
4. श्री पी0 लाल, विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग–2

निदेशक (नियोजन एवं बजट)

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका,
   जिला पुरूष/महिला एवं संयुक्त चिकित्सालय,
   उत्तर प्रदेश।

पत्र सं0–17फ/नि0नि0ब0/कैम्प/2019/ दिनांकः 13.02.2019

विषयः–जनहित गारन्टी अधिनियम, 2011 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–3, सन् 2011) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रभावी रूप से लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में लोक सेवा प्रबन्धन की अधिसूचना के माध्यम से जनहित गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत विभाग की कुल 9 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। इन सेवाओं को विभाग में प्रभावी ढ़ंग से क्रियान्वित किये जाने हेतु एक वेब पोर्टल के विकास हेतु उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन का चयन किया गया है।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन की कार्यदायी संस्था द्वारा आवश्यक वेब पोर्टल का विकास कर www.up-health.in पर होस्ट किया जा चुका है जिसकी आपरेशनल ट्रेनिंग भी सम्बन्धित अधिकारियों को विभिन्न प्रशिक्षण द्वारा प्रदान की जा चुकी है एवं पोर्टल के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश महानिदेशालय एवं शासन द्वारा प्रदान किये जा चुके हैं।

उपरोक्त पोर्टल को माननीय मुख्यमंत्री जी के डैशबोर्ड (दर्पण) से भी इंटीग्रेट किया जा चुका है एवं मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा सभी चयनित सेवाओं का अनुश्रवण भी ऑनलाईन ही किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देशों के अनुरूप कार्यदायी संस्था द्वारा पोर्टल में डिजिटल सिग्नेचर के फीचर को भी इंटीग्रेट कर दिया गया है। अब वेब पोर्टल के माध्यम से निर्गत होने वाले प्रमाण–पत्र सम्बन्धित अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) द्वारा हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही जारी होंगे।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि कार्यदायी संस्था को डिजिटल सिग्नेचर को क्रियान्वित कराने में आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

भवदीय,

महनिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

पत्रांक–17फ/नि0नि0ब0/कैम्प/2019/ 158-61 तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
3. डा0 नीरज शुक्ला, विशेष सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
4. श्री पी0 लाल, विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग–2

निदेशक (नियोजन एवं बजट)